कार्यालय : निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0हरियाणा, गुरूग्राम।

निविदा सूचना

वर्ष 2018–19 के लिए परिषद् परिसर में कैंटीन का ठेका दिया जाना है जिसके लिए निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है।

नियम / शर्ते/ आवेदन पत्र व मीनू कार्यालय की वेबसाइट **www.scertharyana.gov.in** से डाउनलोड की जा सकती है।

इच्छुक फर्म /ठेकेदार अपनी निविदाएँ रेट के साथ दिनांक 2 अप्रैल 2018 दोपहर 1.00 बजे तक कार्यालय में सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदाएँ सांय 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली जाएगी।

हस्ता :

निदेशक,
एस0सी0ई0आर0टी0हरियाणा,
गुरूग्राम ।

नियम एवं शर्ते

वर्ष 2018–19 के लिए अध्यापक भवन की कैन्टीन का ठेका बारे।

उपरोक्त सम्बन्ध में वर्ष 2018–19 के लिए अध्यापक भवन की कैन्टीन का ठेका 31–3–2019 तक के लिए निम्नलिखित नियमों व शर्तों के आधार पर दिया जाता है कि इनका दृढ़ता से पालना की जाएगी। अनिवार्य दस्तावेज (क. फर्म का नाम तथा फर्म के नाम पैन नं0 एवं चालू खाता संख्या (Current Account) कुटेशन के साथ कार्यालय में अवश्य जमा करवाएँ। ख. भारतीय खाद्य संरक्षण मानव प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र (फार्म सी) fssai. का कुटेशन के साथ होना अति अवश्यक है। ग. (श्रम विभाग द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र) कुटेशन के साथ अवश्य जमा करवाएँ प्रमाणपत्र 31–03–2019 तक वैध होने चाहिए अन्यथा कुटेशन रदद कर दी जाएगी।

1. डाइनिंग हॉल/ रसोईघर तथा आस पास के पार्क की सफाई की सारी जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी तथा सफाई नियमित रूप से प्रति दिन की जाएगी इसका कड़ाई से पालना की जावे।
2. कैंटीन का कार्य दिवस में खुला रहना अनिवार्य होगा।
3. खाद्य पदार्थों के जो रेट अनुमोदित किए गए हैं, ठेकेदार बिना निदेशक की पूर्व अनुमति के नहीं बढाएगा।
4. रात्रि के समय कैंटीन में वही व्यक्ति ठहरेगा जिसका नाम, पता व फोटो इस परिषद् में ठेकेदार द्वारा दिया जाएगा। ठेकेदार ही उसका जमानती होगा।
5. खाद्य पदार्थ को तैयार करने के लिए सभी वस्तुएँ जैसे घी, रिफाइंड तेल, मसाले, आटा तथा सब्जियाँ आदि उच्च स्तरीय गुणवत्ता (आई.एस.आई. एग्मार्क अनिवार्य) वाले तथा साफ सुथरी प्रयोग में लाई जाएगी।
6. चाय के लिए ब्रांडिड चायपती ही प्रयोग में लाई जाएगी।
7. चाय/खाना बनाने व पका हुआ खाना वितरित करने हेतु बर्तन/क्राकरी साफ सुथरी तथा उसका इंतजाम ठेकेदार को स्वयं करना होगा। प्लास्टिक व कागज के कप प्रयोग में नहीं लाए जाएगें।
8. प्रयोग किए जाने वाले सामान का समय–समय पर परिषद् के सदस्यों/प्रोग्राम कोआडीनेटर की कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। यदि खाने का सामान गुणवत्ता के आधार पर निम्न स्तर का पाया गया तो उस दिन उसका भुगतान नहीं किया जाएगा।
9. बाहरी व्यक्तियों के लिए कैंटीन तथा बाऊण्डरी वाल में प्रवेश वर्जित होगा ।
10. सभी खाद्य पदार्थ शीशे या जाली के बने केस में रखने होंगे ।
11. कैंटीन के लिए बिजली की व्यवस्था परिषद् द्वारा की गई है। बिजली बिल ठेकेदार द्वारा वैहन किया जाएगा तथा पंखे व अन्य फीटिंग जैसे बल्ब, टयूब लाइट की सुरक्षा भी ठेकेदार को करनी होगी। किसी भी बिजली के उपकरण की खराब होने की अवस्था में ठेकेदार ही अपने स्तर पर उसका रिपेयर/रिप्लेसमैंट करवाएगा।
12. ठेकेदार के कर्मचारियों को साफ सुथरी वर्दी पहननी होगी तथा वर्दी पर नाम लिखा होगा तथा इनका बायोडाटा कार्यालय में कार्य प्रारम्भ करने के 10 दिन के अन्दर–2 प्रस्तुत करना होगा।
13. कैंटीन/मैस का किराया प्रतिमास 10 तारीख से पहले–पहले अग्रिम जमा कराना होगा अन्यथा कैंटीन का टेंडर कैंसिल कर दिया जाएगा।
14. कैंटीन की मुरम्मत जैसे शीशा टूटना, नल/टूटी खराब होना, दरवाजे एवं खिडकियों का टूटना ऐसा न करने पर ठेकेदार द्वारा ही करवाई जाएगी ।

15. ठेकेदार द्वारा कुटेशन के साथ कैंटीन का ठेका लेते समय 50000/-(पचास हजार रुपये) की राशि रिफण्डेबल जमानत के रुप में जमा करवानी होगी जिसमें से टूट फूट ठेकेदार द्वारा न करवाए जाने पर राशि इसमें से काट ली जाएगी और यदि ठेकेदार ठेका वर्ष के बीच में ही छोडता है तो यह समस्त जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी अन्यथा ठेका समाप्त होने पर बिना ब्याज के जमानत राशि वापिस कर दी जायेगी।
16. खाद्य साम्रगी तैयार करते समय चुल्हा/अंगीठी अथव गैस कनैक्शन की व्यवस्था सावधानी पूर्वक ठेकेदार को अपनी जिम्मेवारी पर करनी होगी तथा सुरक्षा के उपाय भी अपने स्तर पर करने होंगे ।
17. ठेकेदार द्वारा उपरोक्त किसी शर्त /नियमों का उल्लंघन करने पर ठेका रदद् किया जा सकता है। ऐसा होने पर ठेकेदार को उपलब्ध भवन/स्थान तुरन्त खाली करना होगा।
18. चाय का प्रबन्ध व स्थान अलग से होगा तथा हर समय तैयार करके रखना होगा तथा आवश्यकता के समय तैयार करके देनी होगी। बाहर के व्यक्ति को बाउण्डरी के अन्दर न बैठाया जावे न कोई सामान सर्व किया जावे अन्यथा पाये जाने पर सारा उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये।
19. किसी भी प्रकार की नशे की चीजें अर्थात् बीडी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटके मास मदिरा आदि का दुकान पर रखना बेचना प्रतिबन्धित है। आदेश की उल्लघंना पर स्टाल खाली करने के आदेश दिए जा सकते है।
20. परिषद् द्वारा किए जाने वाले भुगतान पर जो भी कर देय बनता है (सभी प्रकार के टैक्सों का भुगतान टैण्डर प्राप्त करने वाली फर्म को करना है न की परिषद् को) फर्म द्वारा अवश्य भुगतान किया जाएगा इसके लिए फर्म जिम्मेवार होगी तथा टैक्स जमा कराने उपरान्त टैक्स की रसीद की छायाप्रति परिषद् को उपलब्ध करानी होगी। (प्रति तीन माह उपरान्त)
21. उपरोक्त सभी नियम व शर्तें मानने पर एक सप्ताह के अन्दर-2 अपना कार्य हर अवस्था में प्रारम्भ करना होगा अन्यथा ठेका द्वितीय स्थान पर रहे अन्य फर्म को दे दिया जाएगा।
22. टैण्डर अनिवार्य दस्तावेजों के साथ दिनांक 2 अप्रैल 2018 दोपहर 1.00 बजे तक जमा करानी होगी।
23. टैण्डर परिषद् द्वारा 2 अप्रैल 2018 को सांय 03.00 बजे निदेशक महोदया के समक्ष खोली जाएगी।
24. टैण्डर डालने वाली फर्म टैण्डर की खोलने की निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित रहें।

हस्त:
निदेशक
एस0सी0ई0आर0टी0हरि0
गुडगाँव।

MENU FOR THE WEEK

Days	Breakfast (7:30AM to 8:30AM)	Lunch (1.00PM to 2.00 PM)	Dinner (7.30PM to 9.00 PM)	Tea (2times) (11.00AM & 3.00 PM)
Monday	Prantha two +Curd + Pickle	Rajmah + Raita+ Rice+ Roti+ Seasonal Veg.+ Salad + Sweet dish	Dal + Seasonal Veg.+ Rice + Roti +Salad+ Pickle	Tea @ 5/- Coffee @ Rs. 8/- Samosa/ Bread
Tuesday	Puri (4-6) + Subji + Tea	White Chana + mix veg, ratia+ seasonal veg + Roti +rice+ Salad + Sweet dish	Dal+ Vegitable + Roti + Rice + Salad + Pickle	Pakora /Dhokla /kachori / Slice @ Market rate Biscuits- Print
Wednesday	Prantha Two Aloo / Maithi Gobi + pickle + Tea	Dal Makhani + Veg. + Roti+ Salad+ Rice+ Raita + Sweets (Gulab Jamu / Sweet dish)	Dal + Mix veg. + Roti+ Rice+ Salad+ Pickle	/Market Rate Bisleri Bottle Print/ Market Rate
Thursday	Prantha Two (Maithi)/ Palak + Pickle + Tea	Kadhi Pakoda+ Aloo shimla mirch+ Roti+ Salad+ Rice Raita + Sweet dish	Dal+ Vegitable + Roti+ Rice+ Salad+ Pickle	Namkeen Print/Market Rate Any sealed/packed eatables @ Market rate/ Print
Friday	Stuffed Prantha + Dahi/Tea + Pickle	Black Chana+ Mix Veg.+ Rothi+ Rice+ Salad+ Raita+ Sweet dish	Dal+ Veg.+ Roti+ Rice+ Salad+ Pickle	rate
Rates per DIET	Rs. 30/-	Rs. 55/-	Rs. 35/-	15/- two time tea with Biscuits
• Rent minimum 44000/- + Electricity Charge extra				
• Tea Quantity- 80 ml & Raita Quantity- 150 ml				

Above rates are including GST & Extra taxes.

Signature

TENDER PERFORMA FOR CANTEEN

1- Name of the Firm……………………………….
2- PAN No. of the Firm (Copy attached)……………………………..
3- Current Account No. & Bank Name…………………………….
4- License No (Fssai) (Copy attached)…………………………….
5- Labour Deptt. Registration Certificate No(Copy attached)……………….
6- 50000/- draft (in favour of Director, S.C.E.R.T. Haryana, Gurgaon) DD No……………..
Name of Bank………………………… dated…………………..

Rate for Rent

Sr. No.	Minimum Rent	Quotation for Rent (To be filled by Tenderer)
1-	44000/-	………………

Signature

(Firm Owner)

Mobile No……………